कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com,Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 620 /12–1 देहरादूनः दिनांकः 2 सितम्बर, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– **जनपद–बोगेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ–बागेश्वर मोटर मार्ग के किमी 15 से उडलगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.261 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।** (Online Proposal No.-FP/UK/ROAD/156508/2022)

सन्दर्भः– भारत सरकार का की पत्र संख्या 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 40 / 2023 / एफ0सी0 / 760 दिनांक 31–08–2023।

महोदय,

प्रकरण में भारत सरकार द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है, जिसकी अनुपालन ऑख्या कार्यदायी संस्था द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी को प्रेषित की गई है जिसे प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर द्वारा अपने पत्रांक 111 / 12–1(2) दिनांक 10–07–2025 से वन संरक्षक उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा को प्रेषित की गई है जिसे उनके द्वारा अपने पत्रांक 292 / 12–1(2) दिनांक 01–08–2025 से निम्नानुसार प्रेषित किया गया है–

क0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	**प्रतिपूरक वनीकरणः–**	
क)	प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 1.5 है0 आरक्षित वन भूमि, छतीना कक्ष संख्या–4 पर 1500 पौधों का रोपण किया जाएगा जहॉ पर व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि, छतीना पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा।
ख).	प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

2	शुद्व वर्तमान मूल्यः–	
(क)	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में IA नं0 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998 एफ.सी. (pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2016 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.74 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में IA नं0 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998 एफ.सी. (pt.2) दिनांक 18.09.2003ए 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2016 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार को रू0 07,43,855.00 (सात लाख तैतालीस हजार आठ सौ पचपन मात्र) का 0.74 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) ऑनलाईन जमा करा दिया गया है। **(संलग्नक–1)**
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो तो जमा किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक–2)**
3	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 13 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रभावित होने वाले वृक्षों संख्या प्रस्ताव के अनुसार न्यूनतम 13 वृक्षों के पातन हेतु सहमत है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को चरण–II मंजूरी जारी करने से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और परिवर्तित किया जाएगा। यादि लागू हो।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण आरक्षित वनभूमि मे प्रस्तावित है। अतः उक्त शर्त लागू नहीं होती है।
5	राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित गैर–वन/सिविल सोयम भूमि	चयनित भूमि आरक्षित वन भूमि है अतः सम्बन्धित शर्त लागू नहीं है।

	को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत या स्थानीय वन अधिनियम, 1927 की प्रासंगिक धारा(ओ) के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। उक्त अधिसूचना चरण– II /अंतिम अनुमोदन की अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी। यदि लागू हो।	
6	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलवा निस्तारण नहीं किया जाएगा इस संबन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मलवे को निस्तारण नहीं करेगा इसका वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–3)**
7	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदले जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रदत्त वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
8	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
9	The User Agency shall submit an undertaking that the construction area will not increase over the proposed layout plan and rest of the area shall be developed/maintained as a green space. Plantation shall be raised in consultation with state Forest Department in the green belt area and cost of raising the plantation would be borne by the user Agency.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण निर्माण क्षेत्र सीमित रखने एवं रिक्त क्षेत्र में वन विभाग के सहयोग से वृक्षारोपण करने हेतु सहमत है।
10	All conditions of CWLW/SBWL/NBWL shall be strictly complied wherever applicable.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्तो के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
11	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी,

	क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित् जमा किए जाएंगा।	इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
12	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
ख). राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के पश्चात क्षेत्र में शर्तो का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन वचन पत्र के रूप में अनुपालन चरण–II अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।		
.1	वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद की वन भूमि सौंपी जाएगी	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद की वन भूमि सौंपे जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवष्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंम्भ की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रुप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याषित लागत वृद्वि उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा आरक्षित वन भूमि छतीना कक्ष संख्या 04 में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 1104809.00 मात्र (रू0 ग्यारह लाख चार हजार आठ सौ नौ मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. U4472239 Dtd 09.04.2025 द्वारा जमा किया जा चुका है।
4	राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियॉ प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
5	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त जहां भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
6	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।

	घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	
7	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि वे अथवा प्रयोक्ता अभिकरण भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधरोपण स्थल को नहीं बदलेंगे।
8	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
9	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषज्ञ वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
11	सम्बन्धित वन मंडल के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
12	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
14	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।

	अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरें। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार सयमबद्ध तरीके से पूर्व किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	
16	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
17	प्रयोक्ता अभिरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से सम्बन्धित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनश्चित करेगी, यदि लागू हो।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
18	उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघन माना जायेगा एवं एफ0सी0ए0 अधिनियम 2023 के अन्तर्गत निर्धारित कार्यवाई की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।

अतः अनुरोध है कि उक्तानुसार प्रेषित उत्तरालेख के आधार पर उक्त प्रस्ताव में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 यथा संशोधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करना चाहें।

संलग्नकः— यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० एस०पी० सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या /12–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

2– उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बागेश्वर।

(डॉ० एस०पी० सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ *(05962) 231099 Fax : 230397*

पत्रांक – 292 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 01/08/ 2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत परिवहन विभाग के कार्यालय, अनावसीय भवन, ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर के निर्माण हेतु 0.74 है0 गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड परिवहन विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में। (प्रस्ताव सं0– 156508 / 2022)

संदर्भ :– भारत सरकार का पत्रांक संख्या– 8बी0 / यू0सी0पी0 / 09 / 69 / 2022 / एफ0सी0 / 198 दिनांक– 08.05.2024

महोदय,

विषयगत प्रकरण के संबंध में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक – 117 / 12–1–2 दिनांक– 10.07.2025 द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न– उक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रभारी बागेश्वर
आ० का० केर।

प्र० व० सं / नो०
6-8-25

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397
पत्रांक – 292 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 01/08/ 2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत परिवहन विभाग के कार्यालय, अनावसीय भवन, ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर के निर्माण हेतु 0.74 है0 गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड परिवहन विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में। (प्रस्ताव सं0– 156508 / 2022)

संदर्भ :– भारत सरकार का पत्रांक संख्या– 8बी0 / यू0सी0पी0 / 09 / 69 / 2022 / एफ0सी0 / 198 दिनांक– 08.05.2024

महोदय,

विषयगत प्रकरण के संबंध में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक – 117 / 12–1–2 दिनांक– 10.07.2025 द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न– उक्तानुसार।

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधि० वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून
प्राप्ति सं० 772
पत्रावली 12-1
दिनांक 12-8-25

भवदीय

(डॉ धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रभारी बागेश्वर
आ० का० केरे।

प्र० व० सं / नो०
6-8-25

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com
दूरभाष नं0:– 05963-220249 फैक्स नं0:– 05963-220209

पत्रांक 917 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक : 10 / 09 / 2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :– **जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत परिवहन विभाग के कार्यालय, अनावसीय भवन, ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर के निर्माण हेतु 0.74 है0 गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड परिवहन विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/Other/156508/2022)**

सन्दर्भ:– भारत सरकार का पत्रांक सं0 08बी / यू0सी0पी0/09/69/2022/ एफ0सी0 / 198 दिनांक 08.05.2024।

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा **जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत परिवहन विभाग के कार्यालय, अनावसीय भवन, ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर के निर्माण हेतु 0.74 है0** वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड परिवहन विभाग बागेश्वर को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है :–

क0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	**प्रतिपूरक वनीकरण:–**	
	क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 1.5 है0 आरक्षित वन भूमि, छतीना कक्ष संख्या–4 पर 1500 पौधों का रोपण किया जाएगा जहॉ पर व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	क) वन भूमि, छतीना पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा।
	ख). प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	ख). प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
	शुद्ध वर्तमान मूल्य:–	
	क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय WP(C) संख्या: 202/1995 में IA नं0 556 दिनांक 10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 / 1998 एफ. (pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2 / 2006–एफ0सी0 नांक 03.10.2016 एवं 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार क्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.74 है0 वन के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या: 202/1995 में IA नं0 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 / 1998 एफ.सी. (pt.2) दिनांक 18.09.2003ए 5–2 / 2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2016 एवं 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार को रू0 07,43,855.00 (सात लाख तैतालीस हजार आठ सौ पचपन मात्र) का 0.74 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) ऑनलाईन जमा करा दिया गया है।

	करेगी।	
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	(ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तम मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो तो अंतिम रूप देने के बाद दे होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। (संलग्न–2)
3	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 13 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रभावित होने वाले वृक्षों संख्या प्रस्ताव के अनुसार 1 न्यूनतम वृक्षों के पातन हेतु सहमत है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को चरण–II मंजूरी जारी करने से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और परिवर्तित किया जाएगा। यदि लागू हो।	प्रतिपूरक वनीकरण आरक्षित वनभूमि भूमि मे प्रस्तावित है। (उक्त शर्तो लागू नहीं है।)
5	राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत या स्थानीय वन अधिनियम, 1927 की प्रासंगिक धारा(ओ) के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। उक्त अधिसूचना चरण– II /अंतिम अनुमोदन की अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी। यदि लागू हो।	प्रतिपूरक वनीकरण आरक्षित वनभूमि भूमि मे प्रस्तावित है। (उक्त शर्तो लागू नहीं है।)
6	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलवा निस्तारण नहीं किया जाएगा इस संबन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलवा निस्तारण नहीं किया जाएगा सहमत है इस संबन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र संलग्न है। –3
7	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी। प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। –4
	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
	The User Agency shall submit an undertaking that the construction area will not increase over the proposed layout plan and rest of the area shall be developed/maintained as a green space. Plantation shall be raised in consuktation with state Forest Department in the green belt area and cost of raising the plantation would be borne by the user Agency.	उक्त शर्तो के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
	All conditions of CWLW/SBWL/NBWL shall be strictly complied wherever applicable.	उक्त शर्तो के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

	और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरितथ् जमा किए जाएंगा।	
12	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलो की जायेगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

ख). राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के पश्चात क्षेत्र में शर्तो का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन वचन पत्र के रूप में अनुपालन चरण–II अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।

1	वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकर सहमत है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद की वन भूमि सौंपी जाएगी	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौ जाने के बाद की वन भूमि सौंपी जाएगी– प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है
3	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवष्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंम्भ की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रुप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना मे भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याषित लागत वृद्वि उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा आरक्षित वन भूमि छतीना कक्ष संख्या 04 मे वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 1104809.00 मात्र (रू0 ग्यारह लाख चार हजार आठ सौ नौ मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. U4472239 Dtd 09.04.2025 द्वारा जमा किया जा चुका है।
4	राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियॉ प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
5	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त जहां भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
6	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
7	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषज्ञ वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
	सम्बन्धित वन मंडल के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।

	सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।	
12	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
14	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरें। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार सयमबद्ध तरीके से पूर्व किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
16	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
17	प्रयोक्ता अभिरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से सम्बन्धित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनश्चित करेगी, यदि लागू हो।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
18	उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघन माना जायेगा एवं एफ0सी0ए0 अधिनियम 2023 के अन्तर्गत निर्धारित कार्यवाई की जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।

संलग्न–चार प्रतियों में

भवदीय,

(ध्रुव सिंह मर्तोलिया)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

सामान्य
13/6/2025

उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, बागेश्वर।

Email- artobag-trans-uk@nic.in

पत्र संख्याः– 255 /सामा0 प्रशा0/वन भूमि चयन /2025–26 दिनांक 05.06.2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी, महोदय,
वन प्रभाग बागेश्वर।

विषय– जनपद– बागेश्वर के अंतर्गत परिवहन विभाग के कार्यालय, अनावासीय भवन, ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर के निर्माण हेतु 0.74 हे0 (0.42 हे0 गैर वन भूमि, 0.32 हे0 वन भूमि) गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड परिवहन विभाग बागेश्वर सैद्धान्तिक स्वीकृत की अनुपालन आख्या के संम्बन्ध मे (Online no FP/UK/other/156508/2022)

सन्दर्भ– भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 08 बी0/यू0 पी0सी0/09/69/2022/एफ0सी0/1532/दिनांक 08.05.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य में जनपद बागेश्वर के अंतर्गत परिवहन विभाग के कार्यालय, अनावासीय भवन, ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर के निर्माण हेतु 0.74 हे0 (0.42 हे0 गैर वन भूमि, 0.32 हे0 वन भूमि) गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड परिवहन विभाग बागेश्वर को प्रत्यावेदन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है:–

क्रं0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृत की अनुपालन आख्या
	(क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 1.5 है0 आरक्षित वन भूमि, छतीना कक्ष संख्या–4 पर 1500 पौधों का रोपण किया जाएगा जहॉ तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	(क) वन भूमि, छतीना पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्वदेशी प्रजाजियों के लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा।
	(ख) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0क्षेत्र को राज्य द्वारा अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	(ख) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
2–	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
	(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.04.2008 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा 5–1/1998–एफ सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003 5–2/2006–एफ.सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.74हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	वन भूमि/2024–25 दिनांक 05.03.2025 को कैम्प देहरादून के खाता संख्या CAM508909042025 चैक संख्या 011399 कुल धनराशि 18,48,664 (अट्ठारह लाख अड़तालिस हजार छः सौ चौंसठ रूपये मात्र) विभागीय खाता संख्या 598202010014976 से यूनियन बैक बागेश्वर से चालान के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में भुगतान कर दिया गया है।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के वाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूल जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के वाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूल जाएगा प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

	वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	
4–	राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियॉ प्राप्त करेगी यदि लागू हो।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
5–	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोड/राष्टीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त जहां भी लागू हो का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
6–	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.6.2022 के अनुसार पाचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
7–	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चि करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नही बदलेगें।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
8–	पर्यावरण (संरक्षण)अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
9–	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो अनुपालन किया जायेगा।
10–	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवावन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य स्रोत से पर्याप्त लगडी विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
11–	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward /Backward bearings अंकित हों	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
12–	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
13–	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जाएगी	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
14–	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
15–	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की पर प्रयोक्त अभिकरण द्वारा प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनाक स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
16–	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होतें है तो उनके जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी ।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो का अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
17–	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों की विनियमों, दिशानिर्देशों माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
18–	उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघन माना जायेगा एवं एफ.सी.ए.	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।

संलग्न-1

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 08-04-2025

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	A.R.T.O. BAGESHWAR
PiF/Application No.	19915608202
MoEF/SG File No.	8B/UCP/09/69/2022
Address.	NEAR GOV HIGH SCHOOLBageshwar
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	 artobag-trans-uk@nic.in 9456142845 0-
Amount(in Rs)	1848664/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words : Eighteen Lakh Forty-Eight Thousand Six Hundred and Sixty-Four Rupees Only

09/04/2025

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/ DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

campa@corpbank.co.in Trans No- U4472237

PIF No - 50890904202S

india.bank CAM

02/07/25

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बागेश्वर

संलग्न-III

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.comdfobageshwar03@gmail.com
दूरभाष/फैक्स नं0 : 05963–220249 फैक्स नं0 05963–220209

पत्रांक 5442 / 12-1-2 बागेश्वर, दिनांक : 21 / 6 / 2024

सेवा में,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
बागेश्वर।

विषय – **जनपद–बागेश्वर के अन्तर्गत परिवहन विभाग के कार्यालय, आवासीय भवन, ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेयरनैस सेन्टर के निर्माण हेतु 0.74 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड परिवहन विभाग को प्रत्यावर्तन।(प्रस्ताव संख्या –156508/2022)**

सन्दर्भः– भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक सं0 8बी/यू. सी0.पी./09/69/2022/एफ.सी./1532 दिनांक 08.05.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में उक्त प्रकरण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण व एन0पी0वी0 धनराशि का ऑकलन निर्धारित दरो के क्रम में वर्ष 2024–25 के वसूली दर से किया गया है । अतः उक्त डिमाण्ड नोट ऑन लाईन कर नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून द्वारा डिमाण्ड नोट सत्यापित के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क0सं0	मद	क्षेत्रफल	ई0को0 क्लास	धनत्व	दर प्रति	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन0पी0वी0	0.74 है0	5	0.2	10,05,210.00	7,43,855.00
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	1.5 है0	''_''	''_''	7,36,539.00	11,04,809.00

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

Received
21-6-24

"D:\samany 2018-19\land transfer\demand note.docx"

संलग्नक-1-11

परियोजना का नाम– जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत परिवहन विभाग के कार्यालय, आवासीय भवन, ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेयरनैस सेन्टर निर्माण हेतु 1.50 है0 क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य।

1–पौधारोपण स्थल का नाम– आरक्षित वन छतीना 04 में रोपण क्षेत्रफल 1.50 है0

2–रोपित किये जाने वाली पौधों की प्रजाति–बांज,फल्यांट,उतीस इत्यादि

क0सं0	कार्य विवरण	मात्रा	ईकाई	दर	धनराशि
	प्रथम वर्ष– अग्रिम मृदा कार्य				
1	साईड स्पेसिफिक प्लान (सर्वे डिमार्केशन, के0एम0एल0 फाईल तैयार करना, रूट स्टॉक की गणना कार्य, मृदा परीक्षण कार्य)	1	प्रति है0	1118.00	1118.00
2	क्षेत्र की सफाई	1	प्रति है0	969.00	969.00
3	घेरबाड़ कार्य	1	प्रति है0	250667.00	250667.00
4	पौध की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 1320 पौध	1320	प्रति पौध	13.40	17688.00
5	गडडा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45)	1100	प्रति गडडा	12.16	13376.00
6	भूमि संरक्षण कार्य 1–कन्टूर फर्रे 450 र0मी0 (450x27=12150) (औसत साईज–1x0.30x0.30) 2– चाल–खाल 2 सं0 (2x5000=10000) (औसत साईज–4x2.5x1.00) कुल योग–22150	ल0स0	प्रति है0	22150.00	22150.00
7	निरीक्षण बटिया	1	प्रति है0	805.00	805.00
	अन्य विविध व्यय				18406.38
	प्रथम वर्ष का योग				**325179.38**
	द्वितीय वर्ष– वृक्षारोपण कार्य				
1	गडडा भरान	1100	प्रति गडडा	1.91	2101.00
2	कन्टूर फर्रों में बीज बुआई	450	प्रति र0मी0	1.15	517.50
3	पौध की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 1320 पौध	1320	प्रति पौध	7.30	9636.00
4	पौध ढुलान				0.00
5	वाहन द्वारा 50 किमी0 दूरी से लोडिंग व अनलोडिंग सहित	1100	प्रति पौध	9.35	10285.00
6	सिरबोझ ढुलान 3 कि0मी0	1100	प्रति पौध	6.27	6897.00
7	पौध रोपण	1100	प्रति पौध	3.42	3762.00
8	निराई–गुड़ाई प्रथम बार	1100	प्रति पौध	1.26	1386.00
9	निराई–गुड़ाई द्वितीय बार	1100	प्रति पौध	1.26	1386.00
10	खाद / रसायन	1100	प्रति पौध	0.35	385.00
11	देख–रेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 8 माह (कम से कम 5 है0 पर) (9884 दर से 8 माह) / 5 है0=15814	1	है0	15814.00	15814.00
12	सुरक्षा दीवाल / घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	प्रति है0	245.00	245.00
13	वृक्षारोपण अन्तर्गत प्राकृतिक रूप से उगे पौधों में सिगलिंग–प्रूनिंग व थावलाबन्दी कार्य (100 प्रति है0)	100	प्रति है0	20.53	2053.00
14	वृक्षारोपण क्षेत्र अन्तर्गत प्रति है0 450 कटिंग का रोपण कार्य	450	प्रति है0	1.15	517.50
	अन्य विविध व्यय				4024.00
	द्वितीय वर्ष का योग				**59009.00**

अनुलग्नक-2

प्रपत्र–43

योजना का नाम– जनपद– बागेश्वर के अंतर्गत परिवहन विभाग के कार्यालय, अनावासीय भवन, ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर के निर्माण हेतु 0.74 हे0 (0.42 है0 गैर वन भूमि, 0.32 हे0 वन भूमि) गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड परिवहन विभाग बागेश्वर सैद्धान्तिक स्वीकृत की अनुपालन आख्या के संम्बन्ध मे (Online no FP/UK/other/156508/2022)

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा करये जाने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।

(अमित कुमार)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
बागेश्वर।

नोट– उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा निर्गत कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

संलग्न-3

प्रपत्र–43

योजना का नाम– जनपद– बागेश्वर के अंतर्गत परिवहन विभाग के कार्यालय, अनावासीय भवन, ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर के निर्माण हेतु 0.74 हे0 (0.42 है0 गैर वन भूमि, 0.32 हे0 वन भूमि) गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड परिवहन विभाग बागेश्वर सैद्धान्तिक स्वीकृत की अनुपालन आख्या के संम्बन्ध मे (Online no FP/UK/other/156508/2022)

केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा।

(अमित कुमार)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
बागेश्वर।

नोट– उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा निर्गत कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

अनुलग्नक 4

प्रपत्र–44

योजना का नाम– जनपद– बागेश्वर के अंतर्गत परिवहन विभाग के कार्यालय, अनावासीय भवन, ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर के निर्माण हेतु 0.74 हे0 (0.42 है0 गैर वन भूमि, 0.32 हे0 वन भूमि) गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड परिवहन विभाग बागेश्वर सैद्धान्तिक स्वीकृत की अनुपालन आख्या के संम्बन्ध मे (Online no FP/UK/other/156508/2022)

The User Agency shall submit an undertaking the the construction area will not increase over the proposed layout plan and rest of the area shall be developed /maintained as a green space . Plantation shal be raised in consultation with State Forest Department in the green belt areas and cost of raising the plantation would be borne by the user agency . इस सम्बन्ध में शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।
प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।

(अमित कुमार)
सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी,
बागेश्वर।

सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बागेश्वर

नोट– उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा निर्गत कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।